भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपित की नियुक्ति हेतु पुनर्विज्ञापन (एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1915 द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।

अकादमिक के साथ-साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण, कुलपित से यह उम्मीद की जाती है:

- उच्चतम स्तर की क्षमता, ईमानदारी, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता का व्यक्ति।
- एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, विश्वविद्यालय प्रणाली में उत्कृष्ट अकादिमक रिकॉर्ड रखने वाला प्रोफेसर या ख्याति प्राप्त शोध/अकादिमक प्रशासिनक संगठन में समतुल्य पद धारक, न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव के साथ।
- आवेदक की आयु दिनांक 08.01.2021 की 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वेतन और सेवा शर्ते:

- इस पद का वेतन 2,10,000/- रुपए (नियत) प्रतिमाह के साथ 11,250/- रूपये का विशेष भत्ता और अन्य सामान्य भत्ते हैं।
- सेवाओं की निबंधन और शर्तें वह होंगी जो विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं सांविधियों तथा अध्यादेशों में दी गई हैं।

नियुक्ति हेत् प्रक्रियाः

- यह नियुक्ति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एक समिति द्वारा सिफारिश किए गए नामों की एक सूची में से की जाएगी।
- विज्ञापन और आवेदन का प्रपत्र वेबसाइट https://www.education.gov.in/en और www.bhu.ac.in पर उपलब्ध है।
- निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन दिनांक 24.09.2021 तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्न पते पर पहुंच जाने चाहिए:

उप सचिव (केंद्रीय विश्वविद्यालय) उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, कमरा संख्या 205, 'सी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115

लिफाफे पर 'काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपित के पद हेतु आवेदन - लिखा होना चाहिए। यह विभाग डाक विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

नोट:

जिन व्यक्तियों ने पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्रार्थनापत्र भेज दिया था उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अभ्यर्थी अपना आवेदन वापस लेने का इच्छ्क हो तो वो ऐसा कर सकता है।

Government of India Ministry of Education Department of Higher Education

Re-advertisement for Appointment of Vice-Chancellor of Banaras Hindu University (A Central University)

Banaras Hindu University is a Central University established by Banaras Hindu University Act, 1915.

The Vice-Chancellor, being the academic as well as administrative head, is expected to be:

- A person of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.
- A distinguished academician, with a minimum of 10 years' experience as a Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.
- Preferably not more than 67 years of age as on 08.01.2021.

Salary and Service Conditions

- The post carries a pay of Rs. 2,10,000/- (Fixed) per month with Special Allowance of Rs. 11,250/- and other usual allowances.
- The terms and conditions of the services will be those as set forth in the Act, Statutes and Ordinances of the University.

Procedure for appointment

- Appointment will be made from a panel of names recommended by a Committee constituted under the provisions of the Banaras Hindu University Act.
- The advertisement and the format of application are available on the websites https://www.education.gov.in/en and www.bhu.ac.in
- The applications in the **prescribed proforma** should reach by 24.09.2021 through Registered/Speed Post to:

Deputy Secretary (Central Universities)
Department of Higher Education, Ministry of Education,
Room No.205, 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110115

"Application for the post of Vice Chancellor, Banaras Hindu University", should be super-scribed on the envelope.

This Department is not responsible for postal delay.

Note

• Those who have applied earlier are not required to apply again. They can, however, withdraw their candidature if they so wish.
